110

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 285–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–1–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 230/97–98/अपील.

पुरूषोत्तम शर्मा पुत्र काशीराम शर्मा
निवासी जंगीपुरा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

महेश प्रसाद पुत्र जीवन लाल गौतम
निवासी सुभाष गंज, डबरा
जिला ग्वालियर
कृषक ग्राम बरोठा ....अनावेदक

श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/1/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय, डबरा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बरोठा स्थित भूमि सर्वे कमांक 544 रकबा 08 बिस्वा पर वह अनेक वर्षों से काबिज है, अतः उसका कब्जा दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 8–4–91 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–2–98 को आदेश पारित कर तहसील

न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–1–2006 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है, अतः उसका कब्जा दर्ज करने का आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा मौके पर हनुमानजी का मन्दिर एवं पेड़–पौधे होना स्वीकार किया गया है, साथ ही आवेदक का कब्जा होना स्वीकार किया गया है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश को स्थिर रखते हुए आवेदक की अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इतनी कम भूमि का स्वतंत्र रूप से पट्टा दिया जाना त्रुटिपूर्ण है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक ने मेहनत करके वृक्ष लगाये हैं, और भूमि मंदिर से लगी है, अतः भूमि सुखाचार के लिए आरक्षित रखना चाहिए ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय को कब्जा दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व से अशुद्ध प्रविष्टि होना बतलाया गया है, अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 116 के अंतर्गत होना मान्य होगा, और उसके लिए एक वर्ष की समय–सीमा निर्धारित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 116 के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का नाम खसरे के कॉलम नं. 12 में दर्ज किये का आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की

धारा 116 के अंतर्गत एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ही कार्यवाही की जा सकती है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा अवधि बाह्य प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई थी, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर